



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052022-235522
CG-DL-E-04052022-235522

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316]
No. 316]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2022/वैशाख 14, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, May 4, 2022/ VAISAKHA 14, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 331(अ).—वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आयकर विभाग में नोटिस सर्वर (समूह) ग्रुप 'ग' पद, भर्ती नियम, 2015 की अधिसूचना के हिन्दी संस्करण, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में सा. का. नि. 991 (अ) दिनांक 18 दिसंबर, 2015 के तहत प्रकाशित किया गया था, की अनुसूची के कॉलम 11 में टिप्पणी 3,

के लिए

“जहां ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, उनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठों के संबन्ध में भी विचार किया जायगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष या इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, तथा अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है “

पढ़ा जाए

"जहाँ ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु उनके ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, सहित परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।"

[फा. सं. एचआरडी/सीएम/121/8/2014-15/डायरी सं. 157/2022-प्रशा.7]

विश्वजीत गुहा, अवर सचिव